रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29112023-250299
CG-DL-E-29112023-250299

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 778] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 28, 2023/अग्रहायण 7, 1945
No. 778] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 28, 2023/AGRAHAYANA 7, 1945

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवंबर 2023

फा. सं. 3-104/2023/रा.हो.आ/एच.ई.बी/परिक्षा विनियम– राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) के अधिक्रमण में उप-धारा (1) और धारा 55 की उप- धारा (2) के खंड (ज), (ञ), (ट), (ठ), (ड) और (ढ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते है अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ- (1) इन विनियमों का नाम राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (राष्ट्रीय होम्योपैथी परीक्षा) विनियम, 2023 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(i) "अधिनियम" से तात्पर्य राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) है ;

(ii) "अनुलग्नक " से तात्पर्य इन विनियमों में संलग्न एक अनुलग्नक है ;

(iii) " परीक्षा प्रकोष्ठ " से तात्पर्य आयोग द्वारा राष्ट्रीय परीक्षा हेतु योजना बनाने तथा आयोजित करने हेतु गठित प्रकोष्ठ है ;

(iv) "नामित प्राधिकरण" से तात्पर्य राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा होम्योपैथी परीक्षा अथवा योजना, समन्वय तथा होम्योपैथी राष्ट्रीय परीक्षा आयोजित अथवा परीक्षण हेतु प्राधिकृत कोई एजेंसी अथवा प्राधिकरण तथा /अथवा एक परीक्षा प्रकोष्ठ है ;

(v) "परामर्शदाता प्राधिकरण" से तात्पर्य है केन्द्रीय आयुष प्रवेश परामर्श समिति जैसा कि अखिल भारतीय सीटों के सीट आवंटन हेतु केन्द्रीय सरकार, राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश कोटा हेतु राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा निर्दिष्ट परामर्श समिति;

(vi) "राष्ट्रीय परीक्षा" से तात्पर्य है परीक्षा अथवा परीक्षण जिसमें शामिल है होम्योपैथी हेतु राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा, राष्ट्रीय निकास परीक्षा, राष्ट्रीय स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा, राष्ट्रीय शिक्षक योग्यता परीक्षा अथवा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा आयोजित अन्य कोई परीक्षा।

(2) यहाँ प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्ति जोकि परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं , उनका वही अर्थ होगा जो कि इन विनियमों में नियत किया गया है,

3.परीक्षा प्रकोष्ठ के कार्य :- (1)अधिनियम 14,15,16 तथा 17 में उल्लेखित विभिन्न परीक्षाओं के समन्वय अथवा आयोजित करने हेतु आयोग के अधीन स्वतंत्र "परीक्षा प्रकोष्ठ" होगा तथा परीक्षायें जो कि अधिनिमय के अध्याय- IV में उल्लेखित नहीं हों किन्तु समय समय पर आयोग द्वारा निर्धारित तथा आवश्यक मानी जाएं।

(2)परीक्षा प्रकोष्ठ,प्रत्येक महाविद्यालय से प्रवेशित छात्रों तथा विशेष वर्ष हेतु स्वीकृत प्रवेश क्षमता सहित प्राप्त आकडों को सत्यापित करेगा तथा कमियॉ, यदि कोई हो, तो संबंधित बोर्ड को रिपोर्ट करेगा।

(3)परीक्षा प्रकोष्ठ, प्रत्येक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा प्रवेशित छात्रों के ऑकडे निम्न मानदण्डों के आधार पर सत्यापित करेगा–

(i) आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तथा समय में इस अधिनियम के अनुलग्नक-I तथा अनुलग्नक-III में उल्लेखित प्रारूप में महाविद्यालय द्वारा प्रेषित प्रवेशित छात्रों के ऑकड़े।

(ii) आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में निश्चित तिथि एवं समय पर जैसा कि इस अधिनियम के अनुलग्नक - II तथा अनुलग्नक-IV लें उल्लेखित हैं, परामर्शदाता प्राधिकरण (केन्द्र तथा राज्य) द्वारा प्रस्तुत प्रवेशित छात्रों के ऑक्डें।

(iii) महाविद्यालय, होम्योपैथी राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं कोटि निर्धारण बोर्ड, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग से मान्यता प्राप्त होगा।

(iv) स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों की कुल संख्या, जैसा मामला हो, होम्योपैथी राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं कोटि निर्धारण बोर्ड, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग,भारत सरकार से विनिर्दिष्ट शैक्षणिक सत्र के लिए स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अनुसार होगी।

(v) सभी छात्रों को केन्द्र अथवा राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रशासन, जैसा मामला हो, परामर्श के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा।

(vi) अभ्यर्थी(स्नातक) के विवरण जैसे कि अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा, क्रमांक सं०, राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा प्रतिशतता, राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा श्रेणी, राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक, परामर्शदाता प्राधिकरण, श्रेणी यदि कोई हो, राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा के ऑकडों, केन्द्र अथवा राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश परामर्शदाता प्राधिकरण द्वारा जैसा कि मामला हो, अनुमत छात्रों की संख्या, संस्थावार प्रस्तुत ऑकडों के साथ सत्यापित करेंगे।

(vii) अभ्यर्थी(स्नातकोत्तर) के विवरण जैसे कि अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा क्रमांक सं०, परामर्शदाता प्राधिकरण, श्रेणी, यदि कोई हो, प्रदत्त विशेषज्ञता अथवा स्नातकोत्तर विषय को प्राधिकृत प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा परिणाम के ऑकड़े का सत्यापन तथा केन्द्र अथवा राज्य केन्द्र शासित प्रदेश के परामर्शदाता प्राधिकरण द्वारा संस्थावार प्रदत्त, छात्रों के समेकेतिक ऑकड़े।

(viii) इस विनियम के खण्ड 3 के उप खण्ड (3) के मद (vi) तथा मद (vii) के अनुसार जो आयुर्विज्ञान महाविद्यालय आकड़े प्रदत्त करने में असफल होगें उन्हें रूपये एक लाख (रू० 1,00,000/-) प्रति दिन के हिसाब से दण्ड प्रभार लगाया जाएगा अथवा जैसा कि समय समय पर आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। भुगतान राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक निधि स्थांतरण के माध्यम से किया जाएगा अथवा वास्तवित समय सकल समझौता (रियल टाइम ग्रौस सेटलमेंट) के अन्तर्गत राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के खाते में स्थांतरित किया जाएगा।

(ix) परीक्षा प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग को संस्थावार आकडों की सत्यापित रिपोर्ट कमियों सहित, यदि कोई हो, जैसा मामला हो, प्रस्तुत करेगा ।

(x) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रवेशित छात्रों के आकड़े स्वीकृत किए जाने के पश्चात परीक्षा प्रकोष्ट एक विशिष्ट आयुष पहचान दस्तावेज जारी करेगी । विशिष्ट आयुष पहचान दस्तावेज में निम्न शामिल होंगे –

आयुष पहचान प्रारूप :

वर्तमान वर्ष की अन्तिम दो इकाई + संस्थान का विशिष्ट पहचान दस्तावेज + राज्य उप नाम की दो इकाई राज्य + उर्ध्वगामी संख्या की अन्तिम पॉच इकाई ।

उदाहरण – 23होम2509पब 00031

(xi) यदि छात्र का एक संस्थान से अन्य संस्थान में स्थांतरण होता है तो विशिष्ट आयुष पहचान दस्तावेज को निम्न रूप से संशोधित किया जाएगा –

अ. अक्षर 'स्था ' जिसका अर्थ 'स्थांतरण' होगा, जो कि उपनामों के साथ जोड़ा जाएगा जैसे कि ; 'होम स्था'-

आ. संस्थान तथा राज्य कोड को नये संस्थान के पहचान दस्तावेज तथा राज्य कोड लागू होगा :

उदाहरणार्थ :

यदि छात्र उत्तराखण्ड(उख) के होम0459 से राजस्थान (राज) होम0232 में स्थांतरण लेता है तो नये आयुष पहचान दस्तावेज होगा –

21होम स्था 0232 राज 17256 होगा, तथा

(xii) कमियो के मामले में अथवा यदि आयुर्विज्ञान संस्थान प्रस्तुत द्वारा विवरण गलत हों, ऐसे छात्र के अस्थायी आयुष पहचान दस्तावेज वापस ले लिए जायेंगे तथा मामला होम्योपैथी राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं कोटि निर्धारण बोर्ड को दण्ड हेतु अग्रसित किया जाएगा, जैसा कि उपयुक्त हो ।

4. परीक्षक प्रकोष्ठ को संघठन :- (1) परीक्षा प्रकोष्ठ में निम्न होंगे :

(i) परीक्षा नियंत्रक

(ii) परीक्षा उप नियंत्रक

5.परीक्षा नियंत्रक के कर्तव्य व उत्तरदायित्व :- परीक्षा नियंत्रक के कर्तव्य व उत्तरदायित्व निम्न होंगे :-

(अ) परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा प्रकोष्ठ से संबंधित सभी गतिधियों के प्रति उत्तरदायी होगा ।

(आ) वह अध्यक्ष, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग तथा अध्यक्ष, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग से विचार विमर्श कर इन विनियमों में सूचीबद्ध विभिन्न परीक्षाओं की योजना एवं आयोजन करेगा ।

(इ) वह प्रत्येक परीक्षा के लिए कैलेंडर तैयार करेगा तथा गतिविधि को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निष्पादित करेगा ।

(ई) वह विभिन्न परीक्षओं के आयेाजन हेतु उपयुक्त एजेंसी की पहचान करेगा तथा उसकी संस्तुति सलाहकार समिति के अनुमोदन हेतु करेगा ।

(उ) वह दिए गये परीक्षा के आयोजन हेतु अनुमोदित एजेंसी के साथ समन्वय करेगा, तथा,

(ऊ) अन्य कोई गतिविधि जैसा कि अध्यक्ष, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड अथवा अध्यक्ष, आयोग द्वारा समय समय पर दी जाएँगी ।

6. परीक्षा उप नियंत्रक के कर्तव्य व उत्तरदायित्व :- परीक्षा उप नियंत्रक के कर्तव्य व उत्तरदायित्व जैसा कि परीक्षा नियंत्रक द्वारा नियत किए जाएँगे तथा वह परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा प्रकोष्ठ के कार्य को सुचारू रूप से निर्वहन करने में उसकी सहायता करेगा ।

7. सामान्य सलाह कार समिति तथा तकनीकी समिति : - प्रत्येक परीक्षा के लिए एक सलाहकार समिति तथा तकनीकी समिति का गठन आयोग द्वारा अध्यक्ष, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड से विचार विमर्श से किया जाएगा ।

8. सलाहकार समिति का गठन :- सलाहहकार समिति में निम्न व्यक्ति शामिल होंगे :-

(अ) आयोग का अध्यक्ष - अध्यक्ष

(आ) अध्यक्ष होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड - सदस्य

(इ) आयुष मंत्रालय से मनोनीत - सदस्य

(ई) होम्योपैथी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के दो प्रधानाचार्य

(अध्यक्ष, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग) द्वारा मनोनीत – सदस्य

(उ) परीक्षा नियंत्रक - सदस्य सचिव

9. सलाहकार समिति की शर्तें:-

सलाहकार समिति गठन की निम्न शर्तें होंगी :-

(अ) सलाहकार समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा अथवा आयोग द्वारा नये समिति के गठन तक, जो भी पहले हो, तक होगा;

(आ) सलाहकार समिति की वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होगी;

(इ) सलाहकार समिति अध्यक्ष की सहमति से आवश्यकता अनुसार किसी विशेषज्ञ की सेवा ले सकती है;

(ई) सलाहकार समिति उपयुक्त एजेंसी की पहचान कर प्रवेश, परीक्षा अथवा जॉच हेतु कार्य सौपेगी;

(उ) सलाहकार समिति, आयुष प्रवेश राष्ट्रीय केन्द्रीय परामर्शदाता समिति का गठन परामर्श तथा अखिल भारतीय कोटा की सीट आवंटन हेतु करेगी ।

10. तकनीकी समिति का गठन :- तकनीकी समिति का गठन निम्न से किया जाएगा अर्थात :-

(अ) अध्यक्ष होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड - अध्यक्ष

(आ) निदिष्ट एजेंसी से नामित - सदस्य

(इ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा
नामित दो होम्योपैथी विशेषज्ञ - सदस्य

(ई) स्वास्थ्य शिक्षा प्रौद्योगिकीविद् - सदस्य

(उ) उप परीक्षा नियंत्रक - सदस्य सचिव

(अध्यक्ष, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा नामित किया जाएगा)

11. तकनीकी समिति की शर्तें :- तकनीकी समिति के गठन की शर्तें निम्न होंगी अर्थात:-

(अ) समिति का कार्यकाल दो वर्ष अथवा समिति के पुनर्गठन, जो भी पहले हो तक का होगा ।

(आ) समिति की बैठक आवश्यकता अनुसार होगी ।

(इ) समिति, अध्यक्ष तकनीकी समिति की सहमति से आवश्यकता अनुसार किसी विशेषज्ञ की सेवा ले सकती है ।

(ई) तकनीकी समिति प्रत्येक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों का खाका विकसित करेगी ।

(उ) तकनीकी समिति प्रश्न पत्र तैयार करने हेतु विशेषज्ञ एवं मध्यस्थ की पहचान करेगी ।

(ऊ) तकनीकी समिति नियत एजेंसी के साथ परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए सहयोग करेगी ।

(ए) तकनीकी समिति सुनिश्चित करेगी की परीक्षा संबंधित मामलों में गोपनीयता बनी रहे ।

12. होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा:- (1) होम्योपैथी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा, आयेाग द्वारा प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में निर्दिष्ट प्राधिकरण अथवा एजेंसी द्वारा आयोजित की जाएँगी ।

(2) होम्योपैथी में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने की योग्यता तथा स्नातक पाठ्यक्रम में परामर्श प्रक्रिया, को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा (होम्योपैथी स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम – होम्योपैथी औषध एवं शल्य क्रिया पाठ्यक्रम विनियम, 2022), जैसा अधिसूचित किया गया है तथा जैसा कि राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देश हैं, के अनुसार होगा ।

13. राष्ट्रीय निकास परीक्षा:- (1) आयेाग, निर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा अधिनियम के खण्ड (15) उप खण्ड (1) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार एक सामान्य होम्योपैथी राष्ट्रीय निकास परीक्षा आयोजित करेगी ।

(2) राष्ट्रीय निकास परीक्षा का आयोजन चिकित्सा साभ्यासी को अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्रदान करने तथा राज्य पंजिका अथवा राष्ट्रीय पंजीका में पंजीकृत होम्योपैथी चिकित्सा साभ्यासी के रूप में दर्ज करने हेतु किया जाएगा ।

(3) होम्योपैथी स्नातक को एक होम्योपैथी साभ्यासी के रूप में पंजीकरण हेतु परीक्षा का स्वरूप नैदानिक योग्यता पर आधारित होगी ।

(4) राष्ट्रीय निकास परीक्षा का आयोजन सामान्यतया प्रत्येक वर्ष फरवरी तथा अगस्त माह में किया जाएगा ।

(5) राष्ट्रीय निकास परीक्षा में उपस्थित होने की योग्यता निम्न होगी :-

(अ) एक इन्टर्न जो कि कम से कम दो सौ तथा सत्तर दिन की इंटर्नशिप, राष्ट्रीय निकास परीक्षा का आवेदन जमा करने के अंतिम दिन तक पूर्ण कर चुका हो ।

(आ) होम्योपैथी स्नातक जो कि अपनी इंटर्नशिप पूर्ण कर चुका हो ।

(इ) विदेशी नागरिक जिनकी अर्हता होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम के तृतीय अनुसूची में शामिल हो अथवा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 की धारा-36 के अनुसार मान्यता प्राप्त हो ।

(6) यद्यपि, राष्ट्रीय निकास परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थीचिकित्सा साभ्यासी का पंजीकरण तभी पा सकेगा जब कि वह शेष अवधि की गृह शिक्षुता पूर्ण कर ले तथा होम्योपैथी नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड उल्लेखित योग्यता पूर्णकर ले ।

(7) साभ्यासी जो कि पहले से ही पंजीकृत हैं अथवा इन विनियमों की अधिसूचना के पूर्व अपनी इंटर्नशिप पूर्ण कर चुके है उन्हें राष्ट्रीय निकास परीक्षा में उपस्थित होने की आवश्यता नहीं होगी ।

(8) होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) की धारा 15 का उप धारा (1) के अनुसार बिना राष्ट्रीय निकास परीक्षा पास किये कोई भी होम्योपैथी स्नातक (होम्योपैथी औषध एवं शल्य क्रिया स्नातक) राज्य, केन्द्र शासित अथवा केन्द्रीय पंजीका में पंजीकरण हेतु जैसा कि मामला हो, योग्य नहीं होगा।

(9) राष्ट्रीय निकास परीक्षा में प्रवेश के प्रयासों की कोई सीमा नहीं होगी ।

(10) अभ्यर्थी जो कि 50% या अधिक अंक प्राप्त करे उसे राष्ट्रीय निकास परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाएगा तथा उत्तीर्ण अभ्यार्थियों की सूची को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की वेबसाइट में प्रदर्शित किया जाएगा ।

(11) यदि अभ्यर्थी राष्ट्रीय निकास परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो उसकी स्नातक डिग्री अन्य सभी अवसर कार्यों के लिए मान्य होगी तथा अन्य शिक्षा कार्यक्रमों अथवा पाठ्यक्रमेां जहॉ चिकित्सा पंजीकरण आवश्यक नहीं हो ।

स्पष्टीकरण :- अन्य स्नातक डिग्रीधारियों की अपेक्षा यह होम्योपैथी डिग्री धारी, जिन्होंने राष्ट्रीय निकास परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की हो, वे चिकित्सा साभ्यास करने के योग्य नहीं होंगे, यद्यपि वे रोजगार अथवा आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त उन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को छोड़कर अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों, जहॉ से डिग्रीयॉ मान्यता प्राप्त हो, में प्रवेश ले सकते हैं ।

(12) राष्ट्रीय निकास परीक्षा उत्तीर्ण करना तथा पंजीकृत चिकित्सा साभ्यासी का राज्य अथवा राष्ट्रीय पंजीका में पंजीकरण आवश्यक होगा अथवा अन्य कोई कार्य जिसमें नैदानिक कार्य शामिल हो अथवा होम्योपैथी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिला लेना हो ।

14. अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा:- (1) जैसा कि होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) उल्लेखित है, स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा को अन्यथा अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा कहा जाएगा ।

(2) होम्योपैथी के लिए अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा का आयोजन आयोग निर्दिष्ट एजेंसी के माध्यम से करेगा ।

(3) अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर परीक्षा सामान्यता प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह अथवा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा निर्दिष्ट तिथि में आयोजित होगी ।

(4) स्नातक डिग्री धारक (होम्योपैथी औषध एवं शल्य क्रिया स्नातक) जिन्होंने अपनी रोटेटरी गृह शिक्षुता 30 अप्रैल तक किसी होम्योपैथी संस्थान में पूर्ण कर ली हो अथवा समय समय पर राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार पूर्ण कर ली हो, अखिल भारतीय स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में प्रवेश करने हेतु योग्य होगा ।

(5) प्रवेश के समय अभ्यर्थीके पास वैध चिकित्सा साभ्यासी का राज्य अथवा केन्द्रीय संघ शासित प्रदेश अथवा राष्ट्रीय पंजीका में पंजीकरण, जैसा मामला हो, होना आवश्यक है ।

(6) अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर परीक्षा परिणाम निर्दिष्ट एजेंसी द्वारा जारी किया जाएगा तथा वर्ष के विशेष शैक्षिक सत्र के लिए लागू होगा।

(7) परामर्श तथा होम्योपैथी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगी ।

15. राष्ट्रीय शिक्षक योग्यता परीक्षा :- (1) राष्ट्रीय शिक्षक योग्यता परीक्षा का आयोजन आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा होम्योपैथी स्नातकोत्तर के लिए अलग से किया जाएगा जो कि होम्योपैथी में शिक्षण व्यवसाय चुनना चाहता हो ।

(2)राष्ट्रीय शिक्षक योग्यता परीक्षा देने हेतु न्यूनतम योग्यता आयोग अथवा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अथवा शैक्षिणक संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त विषय में स्नातकोत्तर होगी ।

(3) कोई भी व्यक्ति जो प्रथम बार सहायक प्राध्यापक (एसे स्तर का शिक्षण व्यावसाय चुनना चाहता है, तो उसे परीक्षा देनी होगी तथा न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे (बिना पूर्णांकित किए)।

(4) मान्यता प्राप्त संस्थान से शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान तथा जीव रसायन, न्याय आयुर्विज्ञान तथा विष-विज्ञान में विज्ञान निष्णात, सार्वजनिक स्वास्थ्य में निष्णात सहायक प्राध्यापक हेतु राष्ट्रीय शिक्षक योग्यता परीक्षा दे सकता है यदि अभ्यर्थीहाम्योपैथी औषध एवं शल्य क्रिया में स्नातक डिग्री प्राप्त हो ।

(5) यदि कोई व्यक्ति जो कि पहली बार सह- प्राध्यापक (एसोसिऐट प्रोफेसर) स्तर का शिक्षण व्यावसाय अपनाना चाहता है तथा पॉच वर्ष का केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा अथवा राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवा, आयुष मंत्रालय में निमित कार्य करने का अनुभव रखता हो (संबंधित विषय में स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात) अथवा पॉच वर्ष का मान्यता प्राप्त होम्योपैथी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में चिकित्सा अधिकारी के रूप में (संबंधित विषय में स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात) पूर्णकालिक कार्य करने का अनुभव रखता हो वह राष्ट्रीय शिक्षक योग्यता परीक्षा में सह- प्राध्यापक के पद के लिए आवेदन कर सकता है।

(6) यदि कोई व्यक्ति पहली बार सह- प्राध्यापक स्तर को शिक्षण व्यावसाय अपनाना चाहता है तथा संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त होम्योपैथी स्नातकोत्तर अर्हता के साथ पॉच वर्ष का केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्रशासित प्रदेश विश्वविद्यालय की अनुसंधान परिषद् में अनुसंधान का पूर्णकालिक का अनुभव के साथ कम से कम तीन अनुक्रमित प्रकाशन अथवा किसी पत्रिका में समीक्षा प्रकाशित की हों वह भी राष्ट्रीय शिक्षक योग्यता में सह- प्राध्यापक पद के लिए आवेदन कर सकता है ।

(7) शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान तथा जैव रसायन विज्ञान न्याय विज्ञान में विज्ञान में निष्णात के साथ विज्ञान वाचस्पति तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सार्वजनिक स्वास्थ्य में निष्णात भी राष्ट्रीय प्रवेश योग्यता परीक्षा में सह- प्राध्यापक के पद हेतु आवेदन कर सकता है ।

(8) परीक्षा का स्वरूप कौशल आधारित होगा तथा शिक्षण कौशल, संप्रेषण कला, कक्षा प्रबंधन, शिक्षण, प्रशिक्षण तथा आकलन तकनीक, छात्र मनोविज्ञान, एंड्रागॉजी, अध्यापन शास्त्र, जैसा कि राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा समय समय दिए गये दिशा निर्देशों पर केन्द्रित रहेगा ।

(9) आयोग, उत्तीर्ण अथ्यार्थियों को शिक्षक योग्यता प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

(10) शिक्षक योग्यता परीक्षा अवैध मानी जाएगी यदि राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा राष्ट्रीय येाग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने के दस वर्ष के अन्दर पदभार न ग्रहण करे अथवा शिक्षण व्यवसाय में दस वर्ष अथवा अधिक का विराम हो । इस प्रकार के मामलों में पुन: शिक्षा व्यवसाय से जुड़ने के लिए होम्योपैथी आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक योग्यता परीक्षा पुन: देनी होगी ।

(11) अभ्यर्थी को आवेदन से पहले शिक्षक की योग्यता पात्रता में अपनी योग्यता के प्रति संतुष्ट करना चाहिए तथा वह आवेदन के लिए अयोग्यता के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।

(12) यदि अभ्यर्थी को राष्ट्रीय शिक्षक योग्यता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मिली है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसकी पात्रता सत्यापित हो गयी है तथा इससे अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं प्राप्त होता ।

(13) पात्रता अंतिम तौर पर संबंधित भर्ती एजेंसी अथवा नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा किया सत्यापन की जायेगी ।

डॉ. तारकेश्वर जैन, अध्यक्ष, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग

[विज्ञापन-III/4/असा./560/2023-24]

अनुलग्नक –I

(विनियम -3(3) (i) देखें)

होम्योपैथी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हेतु शैक्षणिक वर्ष ..... के लिए स्नातक छात्रों के आँकड़े जमा करने हेतु प्रारूप

क्रम संख्या	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा उपलब्ध संस्थान के पहचान दस्तावेज	प्रवेश की तिथि	अभ्यर्थिका नाम	जन्म तिथि	पिता का नाम	माता का नाम	राष्ट्रीय योगयता सह प्रवेश परीक्षा रैंक	राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा प्रतिशतता	अखिल भारतीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा क्रमांक	राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक	श्रेणी		प्रवेशित कोटा	केन्द्रीय अथवा राज्य अथवा केन्द्रशासित प्रदेश प्रशासन परामर्श से प्रवेशित छात्र
											अभ्यर्थी श्रेणी	प्रवेशित श्रेणी		

XXXXX

अनुलग्नक –II

(विनियम 3 (3)(ii) देखें)

महाविद्यालय वार परामर्श दाता प्राधिकरण द्वारा प्रवेशित छात्रों (स्नातक) को शैक्षणिक वर्ष ..... के लिए जमा करने हेतु समेकेतिक प्रारूप

क्रम संख्या	परामर्श दाता प्राधिकरण	अभ्यर्थिका नाम	जन्म तिथि	पिता का नाम	माता का नाम	अखिल भारतीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा क्रमांक	अखिल भारतीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा प्रतिशतता	अखिल भारती-य योग्यता सह प्रवेश परीक्षा रैंक	अखिल भारतीय योग्यता प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक	श्रेणी		आबंटित कोटा	पाठ्यक्रम का नाम	आबंटित महाविद्यालय का नाम
										अभ्यर्थी श्रेणी	आबंटित श्रेणी			

XXXXX

अनुलग्नक –III

(विनियम 3 (3)(i) देखें)

होम्योपैथी महाविद्यालय द्वारा शैक्षणिक वर्ष ..... में स्नातकोत्तर में प्रवेशित छात्रों के आकड़े जमा करने हेतु प्रारूप

क्रम संख्या	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा उपलब्ध संस्थान के पहचान दस्तावेज	परामर्शदाता प्राधिकरण	अभ्यर्थीका नाम	जन्म तिथि	पिता का नाम	माता का नाम	अ भा यो सह प्र परी क्रमाँक	अ भा यो सह प्र परी प्रतिशतता	अ भा यो सह प्र परी रैंक	अ भा यो सह प्र परी में प्राप्तांक	श्रेणी		आबंटित कोटा	केन्द्रीय अथवा राज्य अथवा केन्द्रशासित प्रदेश प्रशासन परामर्श से प्रवेशित छात्र	प्रवेशित स्नातकोत्तर विशेषज्ञता
											अभ्यर्थी श्रेणी	आबंटित श्रेणी			

XXXXXX

अनुलग्नक –IV

(विनियम 3 (3)(ii) देखें)

महाविद्यालय वार परामर्श दाता प्राधिकरण द्वारा प्रवेशित छात्रों (स्नातकोत्तर) को शैक्षणिक वर्ष ..... के लिए जमा करने हेतु समेकेतिक प्रारूप

क्रम संख्या	परामर्श दाता प्राधिकरण	अभ्यर्थीका नाम	जन्म तिथि	पिता का नाम	माता का नाम	अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा क्रमांक	अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा प्रतिशतता	अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा रैंक	अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक	श्रेणी		आबंटित कोटा	पाठ्यक्रम का नाम	आबंटित महाविद्यालय का नाम	स्नात कोत्तर विशेष-ज्ञता आबंटित
										अभ्यर्थी श्रेणी	आबंटित श्रेणी				

XXXXXX

NATIONAL COMMISSION FOR HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2023

F. No. 3-104/2023/NCH/HEB/Exam Regulation.—In exercise of the powers conferred by sub- section (1) and Clauses (h), (j), (k), (l), (m) and (n) of sub-section (2) of section 55 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020), the National Commission for Homoeopathy hereby makes the following regulations,
namely :-

1. Short title and Commencement. - (1) These regulations may be called the National Commission for Homoeopathy (National Examinations in Homoeopathy) Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(i) "Act" means the National Commission for Homoeopathy, Act, 2020 (15 of 2020);
(ii)"Annexure" means an annexure appended to these regulations;

(iii) "Examination Cell" means a cell established by the Commission for planning and conducting National Examinations;

(iv) "Designated authority" means any agency or authority authorised by the Commission and/or an examination cell established by the National Commission for Homoeopathy for planning, coordinating and conducting National Examinations or Tests for Homoeopathy;

(v) "Counselling Authority" means 'Ayush Admission Central Counselling Committee' as designated by the Central Government for counseling and seat allotment for All India Quota seats; 'State or Union territory Counselling Committee 'for counseling and seat allotment for State or Union territory quota seats;

(vi) "National Examination" means examinations or tests including National Eligibility– cum Entrance Test, National Exit Test, Post-graduate National Entrance Test; National Teachers' Eligibility Test for Homoeopathy or any other examination conducted by the National Commission for Homoeopathy.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. Function of the Examination Cell. - (1) There shall be an independent "Examination Cell" under the Commission for coordinating or conducting different examinations mentioned in sections 14, 15, 16 and 17 of the Act and for the examinations not mentioned in chapter IV of the Act but decided by the commission from time to time as considered necessary.

(2) The Examination Cell shall also verify the admitted students data submitted by each college with the sanctioned intake capacity of that particular year and submit the report along with discrepancies, if any, to the respective boards.

(3) The Examination Cell shall verify the data of admitted students submitted by each medical institution as per the following criteria, namely:-

(i) the data of admitted students submitted by the colleges in the format as specified by the Commission in Annexure-I and Annexure- III of this regulations within the stipulated date and time;

(ii) the data of admitted students submitted by the counselling authority (Center and State) in the format as specified by the Commission in Annexure-II and Annexure- IV of this regulations within the stipulated date and time;

(iii) the college shall be duly recognised by the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy, National Commission for Homoeopathy;

(iv) the total number of admitted students in Under Graduate or Post Graduate courses, as the case may be, shall be within the intake capacity for that particular academic session permitted by the Medical Assessment and Rating Board , National Commission for Homoeopathy, Government of India;

(v) all the students shall have been admitted through Central or State or Union Territory administration counseling as the case may be;

(vi) details of the candidates (Under Graduate) such as name of the candidate, fathers' name,

mothers' name, date of birth, National Eligibility cum Entrance Test, roll number, National Eligibility cum Entrance Test percentile, National Eligibility cum Entrance Test rank, marks obtained in National Eligibility cum Entrance Test, counseling authority, category if any shall be verified with the data of National Eligibility cum Entrance Test, data of allotted students, institution wise submitted by the Central or State or Union territories counseling authority, as the case may be;

(vii) details of the candidates (Post Graduate) such as name of the candidate, fathers' name, mothers' name, date of birth, All India Ayush Post Graduate Entrance Test roll number, counseling authority, category if any, allotted specialty or Post Graduate subject shall be verified with the data of All India Ayush Post Graduate Entrance Test results submitted by the designated authority and the consolidated data of allotted students, institution wise submitted by the Central or State or Union territory counseling authority as the case may be;

(viii) the Medical College failed to submit the data as specified in items (vi) and (vii) of sub clause (3) of clause 3 of this regulation shall be penalized rupees one lakh (Rs. 1, 00,000/-) per day or as specified by this commission from time to time. The payment shall be made through National Electronic Funds Transfer or Real Time Gross Settlement into National Commission for Homoeopathy fund account;

(ix) examination Cell shall submit the institution wise data verification report along with discrepancies, if any, to the Homoeopathy Education Board as the case may be;

(x) once the data of admitted students is approved by the Homoeopathy Education Board, Examination Cell shall allot unique Ayush Identity Document. Unique Ayush Identity Document shall consist of: -

Ayush ID Format:

Last two Digit of current year + Institute unique id + two Digit state abbreviation + last five digit incremental number

Example:

23HOM2509WB00031

(xi) in case of transfer of student from one college to other college, the unique Ayush Identity Document shall be modified as detailed below:

a. letter 'T' denoting the 'Transfer' shall be inserted in the stream of abbreviation i.e. HomT;

b. the Institutional and State code shall be replaced with new institutional Identity Document and State code as applicable;

for example, in case student transfer from Hom 0459 of Uttarakhand (UK) to Hom 0232 to Rajasthan (RJ), his new Ayush Identity Document will be: -

21 HomT0232 RJ 17256; and

(xii) In case of discrepancies or if the details submitted by the medical institution are incorrect, temporary Ayush Identity Document of such student shall be withdrawn and matter shall be forwarded to Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy for penalizing action as deemed fit.

4. Composition of The Examination Cell.- (1) The Examination Cell shall comprise of,-

(i) Controller of Examinations;

(ii) Deputy Controller of Examinations

5. Duties and responsibilities of the Controller of Examination.- The duties and responsibilities of the controller of examination shall be the following, namely:-

(a) Controller of Examinations shall be the sole responsible person for all activities related to examination cell;

(b) he shall plan and execute conduction of various examinations as listed in this regulation in consultation with the Chairperson, National Commission for Homoeopathy and President of Homoeopathy Education Board of National Commission for Homoeopathy;

(c) he shall prepare calendar of events of each examination and execute the activities as scheduled;

(d) he shall identify the suitable agencies for conduction of various examinations and suggest to Advisory

Committee for approval;

(e) he shall coordinate with approved agency in conducting the assigned examination; and

(f) any other activity as assigned by the Chairperson or President of Homoeopathy Education Board of the Commission from time to time.

6. Duties and responsibilities of Deputy Controller of Examination.- The Duties and responsibilities of the Deputy Controller of Examination shall be as assigned by the Controller of Examination and shall assist to him for smooth discharging the function of the Examination Cell.

7. Common Advisory Committee and Technical Committee. - A common Advisory Committee and Technical Committee specific to each examination shall be constituted by the Commission in consultation with the President, Homoeopathy Education board.

8. Composition of the Advisory Committee.- The Advisory Committee shall consists of the following persons, namely:-

(a) Chairperson of Commission –Chairman;

(b) President, Homoeopathy Education Board–Member;

(c) Nominee from the Ministry of Ayush–Member;

(d) Two Principals from the Homoeopathic Colleges (to be nominated by the Chairperson, National Commission for Homoeopathy)–Members; and

(e) Controller of Examinations – Member Secretary.

9. The Terms of References of the Advisory Committee. – The term of References of the Advisory Committee shall be following, namely:-

(a) the term of the Advisory Committee shall be three years or till the reconstitution of the Committee by the Commission, whichever is earlier;

(b) the Advisory Committee shall meet minimum twice in a year;

(c) the Advisory Committee can co-opt any expert as per requirement with the approval of the Chairman;

(d) the Advisory Committee identifies and assign suitable agency for conduction of admission, examination or test;

(e) the Advisory Committee shall constitute Ayush Admission Central Counselling Committee for counseling; and seat allotment for All India Quota.

10. Composition of Technical Committee (separate for each examination) .- Composition of Technical Committee shall consists of the following, namely :-

(a) President Homoeopathy Education Board –Chairman;

(b) nominee from designated agency –Member;

(c) two experts of Homoeopathy to be nominated by the Chairperson of National Commission for Homoeopathy – Members;

(d) Health Education Technologist – Member; and

(e) Deputy Controller of Examinations (to be nominated by the Chairperson of National Commission for Homoeopathy) – Member Secretary.

11. The terms of reference of the Technical Committee.- The terms of references of the Technical Committee shall be the following namely:-

(a) the term of the committee shall be two years or reconstitution of the Committee by the Commission, whichever is earlier;

(b) the Committee shall meet as required;

(c) the Committee can co-opt any expert as per requirement with the approval of the Chairman of the Technical Committee;

(d) the Technical Committee will develop the 'Blue Print' of the question paper for every examination;

(e) the Technical committee identifies experts and Moderators for Question Paper setting;

(f) the Technical Committee shall coordinate with assigned agency for smooth conduction of the examination;

(g) the Technical Committee shall ensure the confidentiality of the matters related to examinations.

12. National Eligibility-Cum-Entrance Test examination for Homoeopathy .– (1) The National Eligibility - cum – Entrance Test for admission into undergraduate course of Homoeopathy shall be conducted in each academic year by the Commission through designated authority or agency.

(2) The eligibility criteria for appearing in National Eligibility cum Entrance Test examination and process of counselling and admission into Under Graduate courses of Homoeopathy shall be as notified in National Commission for Homoeopathy (Homoeopathy Graduate Degree Course – Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery Regulation, – 2022 and as per guidelines issued by National Commission for Homoeopathy from time to time.

13. National Exit Test. - (1) A common National Exit Test for Homoeopathy shall be conducted by the Commission through designated authority as provided under sub section (1) of section 15 of the Act.

(2) The National Exit Test shall be held for granting license to practice as medical practitioner of Homoeopathy and for enrollment in the State Register or National Register as a registered medical practitioner of Homoeopathy.

(3) The pattern of the examination shall be problem based to test the clinical competency of a graduate of Homoeopathy as a registered medical practitioner in Homoeopathy.

(4) The National Exit Test examination shall be conducted ordinarily in the month of February and August every year.

(5) Eligibility for appearing in the National Exit Test shall be as below:

(a) An intern who has completed minimum two hundred and seventy days of the internship by the last date for submission of application for the National Exit Test examination

(b) Graduates of Homoeopathy who have completed their internship

(c) Foreign Nationals whose medical qualification has been recognised in schedule III of Homoeopathy Central Council Act 1973 or Recognised as per section 36 of National Commission for Homoeopathy Act 2020.

(6) However, the National Exit Test qualified candidates shall be eligible to get registered as medical practitioner only after completion of remaining duration of rotatory internship and fulfillment of criteria as specified by Board of Ethics and Registration for Homoeopathy.

(7) Practitioners who have already been registered or have completed internship before the notification of this regulation need not to appear for the National Exit Test.

(8) As per sub-section (1) of section 15 of the National Commission for Homoeopathy Act 2020 (15 of 2020), without qualifying National Exit Test, no Homoeopathic graduate (Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery) shall be eligible to get registered in the State or Union territory Administration or National register, as the case may be.

(9) There shall not be any limit for attempts and duration to appear for National Exit Test.

(10) The candidates securing 50% and above shall be declared as qualified in National Exit Test Examination and the list of qualified candidates shall be displayed on the website of National Commission for Homoeopathy.

(11) If a candidate does not clear the National Exit Test, his graduation degree shall be considered for all other job opportunities and other educational programs or courses where medical registration is not mandatory.

***Explanation*:** Unlike all other graduation degree holders, this degree holder of Homoeopathy, who has not cleared the National Exit Test Examination shall not be eligible for medical practice, though they can appear for the jobs or post-graduation courses other than the post-graduate courses recognised by the Commission, where these degrees are recognised.

(12) Qualifying of National Exit Test Examination and getting registered in a State or National Register shall be the essential requirement for practicing as a registered medical practitioner or for any job where clinical work is involved or for any job where medical registration is mandatory or to pursue post graduate programs in Homoeopathy.

14. All India Ayush Post-Graduate Entrance Test. - (1) The Post-Graduate National Entrance Test as

specified in the National Commission for Homoeopathy Act 2020 (15 of 2020), is otherwise called as All India Ayush Post-Graduate Entrance Test.

(2) All India Ayush Post Graduate Entrance Test for Homoeopathy shall be conducted by the Commission through designated authority.

(3) All India Ayush Post-Graduate Test shall be ordinarily conducted in the month of April every year or on the date specified by the National Commission for Homoeopathy for that academic year.

(4) Undergraduate Degree holders (Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery) who have completed their rotatory internship by 30th April in Homoeopathy Medical Institute or as per timeline specified by National Commission for Homoeopathy from time to time, shall be eligible for appearing in All India Post-Graduate Entrance Test.

(5) At the time of admission, candidate must have valid registration as medical practitioner at State or Union territory or National Register as the case may be.

(6) All India Ayush Post-Graduate Entrance Test result shall be declared by designated agency and shall be applicable for admission during particular academic year only.

(7) Process of counselling and admission in post-graduate course of Homoeopathy shall be as per the guidelines specified by National Commission for Homoeopathy from time to time.

15. National Teacher's Eligibility Test. – (1) The National Teacher's Eligibility Test shall be conducted by the Commission through designated authority separately for the post graduates of Homoeopathy, who desire to take up teaching profession in Homoeopathy.

(2) The minimum eligibility criteria for appearing in National Teacher's Eligibility Test shall be a post-graduate in a subject recognised by the Commission or National Medical Commission or Academic institutions.

(3) Any person who desires to take up teaching profession at the level of Assistant professor for the first time shall have to appear for this examination and shall have to obtain minimum of fifty percent. (without round off) of marks to get qualified.

(4) Master of Science in Anatomy, Physiology and Biochemistry, Forensic Medicine and Toxicology, Master of Public Health from recognised Institutes can also appear for National Teacher's Eligibility Test examination for the post of Assistant Professor, if the candidates are holding the Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery degree.

(5) Any person who desires to take up teaching profession at the level of Associate professor for the first time and having five years of experience in regular service (after possessing post-graduate qualification in the concerned subject) in Central Government Health Services or State Government Health services, Ministry of Ayush or full time five years of experience as medical officer in regular service (after possessing post-graduate qualification in the concerned subject) in recognised Homoeopathy Medical College can appear in National Teacher's Eligibility Test examination for the post of Associate Professor.

(6) Any person who desires to take up teaching profession at the level of Associate professor for the first time and having recognised Post Graduate qualification in Homoeopathy in concerned subject with five years of fulltime research experience in Research Councils of Central Government or State Government or Union territory Administration or University or National Institutions with at least three publication in indexed or peer reviewed journal can appear in National Teacher's Eligibility Test examination for the post of Associate Professor.

(7) Doctor of Philosophy degree holder along with Master of Science in Anatomy, Physiology and Biochemistry, Forensic Medicine and Toxicology and Master of Public Health from recognised Institutes can appear in National Teacher's Eligibility Test examination for the post of Assistant Professor.

(8) The pattern of the test shall be aptitude based and shall be focused on the teaching aptitude; communication skill; classroom management; teaching, training and assessment technology; student psychology; andragogy; pedagogy as specified by National Commission for Homoeopathy from time to time.

(9) A Teacher Eligibility Certificate shall be issued by the Commission to the qualified candidate.

(10) Teacher eligibility shall stand invalid, if not joined as a teacher within ten years from the date of qualifying National Teacher's Eligibility Test for National Commission for Homoeopathy or break of ten years or more in teaching profession. In such case the candidate shall have to qualify once again National Teacher's Eligibility Test for National Commission for Homoeopathy for getting eligibility to join or re-join teaching profession.

(11) The candidate should satisfy his or her eligibility before applying and shall be personally responsible in case he or she is not eligible to apply as per the given eligibility criteria for the teacher.

(12) If a candidate has been allowed to appear in the National Teacher Eligibility Test, it does not imply that the candidate's eligibility has been verified and it does not vest any right with the candidate for appointment.

(13) The eligibility shall be finally verified, by the concerned recruiting agency or appointing authority.

Dr. TARKESHWAR JAIN, President, Homoeopathy Education Board, National Commission for Homoeopathy

[ADVT.-III/4/Exty./560/2023-24]

Annexure- I
[See regulation 3(3) (i)]

Format for Under Graduate Admitted students data to be submitted by Homoeopathy colleges for Academic Year……

			Serial Number	
			Institutional Identity Document provided by the National Commission For Homoeopathy	
			Date of the Admission	
			Name of the Candidate	
			Date of birth	
			Father's name	
			Mother's name	
			National Eligibility Cum Entrance Test roll number	
			National Eligibility cum Entrance Test percentile	
			All India National Eligibility cum Entrance Test rank	
			Marks obtained in National Eligibility Cum Entrance Test	
			Candidate category	Category
			Admitted category	
			Admitted quota	
			Admitted through Central or State or Union territory Administration counselling	

Annexure- II
[See regulation 3(3) (ii)]

Format for submission of consolidated data of admitted students (Under Graduate) college wise by Counseling Authority for Academic

			Serial Number
			Counseling Authority
			Name of the Candidate
			Date of birth
			Father's name
			Mother's name
			National Eligibility cum Entrance Test roll number
			National Eligibility cum Entrance Test percentile
			All India National Eligibility cum Entrance Test rank

			Marks obtained in National Eligibility Entrance Test		
			Candidate Category	Category	
			Allotted Category		
			Allotted quota		
			Name of the Course		
			Name of the allotted colleges		

Annexure- III

[See regulation 3(3) (i)]

			Serial Number		Format for Post-graduate Admitted students data to be submitted by Homoeopathy colleges for Academic Year……
			Institutional Identity Document provided by the National Commission For Homoeopathy		
			Date of the Admission		
			Name of the Candidate		
			Date of birth		
			Father's name		
			Mother's name		
			AIAPGET Roll No.		
			AIAPGET Percentile		
			All India AIAPGET Rank		
			Marks obtained in AIAPGET		
			Candidate category	Category	
			Admitted category		
			Admitted quota		
			Admitted through Central or State or Union territory Administration Counseling		
			Post-graduate Specialty Admitted		

Annexure- IV

[See regulation 3(3) (ii)]

Format for Submission of consolidated data of admitted students (Post Graduate) college wise by Counseling Authority for Academic Year…….

Serial number	Counseling authority	Name of the Candidate	Date of birth	Father's name	Mother's name	All India Ayush Post Graduate Entrance Test roll number	All India Ayush Post Graduate Entrance Test percentile	All India Ayush Post Graduate Entrance Test rank	Marks obtained in All India Ayush Post Graduate Entrance Test	Category		Allotted quota	Name of the course	Name of the allotted colleges	Post-graduate Specialty Allotted
										Candidate category	Allotted category				

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.11.29 17:19:01 +05'30'